भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 50

सरकारी उद्यम विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		10.00	2.63	12.63	10.00	2.58	12.58	10.00	2.61	12.61
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**10.00**	**2.63**	**12.63**	**10.00**	**2.58**	**12.58**	**10.00**	**2.61**	**12.61**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	...	2.24	2.24	...	2.19	2.19	...	2.22	2.22
2. परियोजना मानीटरिंग	3451	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
3. अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यम केन्द्र को अंशदान	2852	...	0.39	0.39	...	0.39	0.39	...	0.39	0.39
4. के.स.क्षे.के उपक्रमों के युक्तियुक्त कर्मचारियों का पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन	2852	8.50	...	8.50	8.50	...	8.50	9.00	...	9.00
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
कुल जोड़		***10.00***	***2.63***	***12.63***	***10.00***	***2.58***	***12.58***	***10.00***	***2.61***	***12.61***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	13451	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
2. लोहा और इस्पात उद्योग	12852	8.50	...	8.50	8.50	...	8.50	9.00	...	9.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़		**10.00**	**...**	**10.00**	**10.00**	**...**	**10.00**	**10.00**	**...**	**10.00**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएंः** इसके अन्तर्गत विभाग के सचिवालय व्यय और नवरत्न और लघु-रत्नों के लिए गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन के लिए खोज समिति के लिए प्रावधान किया गया है।

3. **विकासशील देशों में अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यम संवर्धन केन्द्र को अंशदानः** इसके अन्तर्गत, विकासशील देशों के अन्तर्राष्ट्रीय उद्यम विकास केन्द्र, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, की सदस्यता के लिए भारत के अंशदान तथा उत्कृष्ट उत्पादन हेतु सरकारी उद्यमों को पुरस्कार प्रदान करने हेतु व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **के.स.क्षे.के उपक्रमों के युक्तियुक्त कर्मचारियों का पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजनः** इसमें परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण/पुनर्नियोजन, नए केन्द्रों की स्थापना/नोडल एजेन्सियों की वृद्धि करने आदि की लागत के लिए प्रावधान है; और इसमें परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन स्कीम के अधीन परियोजना को मानीटर करने के लिए निधि की भी व्यवस्था है।

5. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधानः** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

Website : http://indiabudget.nic.in